एन.सी.सी.एफ./दे.दून/व्यवसाय/2023–24/155 दिनांक 21.12.2023

निविदा सूचना

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा विभाग में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त संकर सब्जी बीजों (Hybrid Vegetable Seeds) की विभिन्न प्रजातियों की आपूर्ति हेतु रूचि की अभिव्यक्ति जारी किया गया है। एन.सी.सी.एफ. देहरादून शाखा इस कार्य को करने का इच्छुक है।

एन.सी.सी.एफ. के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य करने के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ता कृपया दिनांक 26.12.2023 दोपहर 2 बजे तक अपनी बिड बन्द लिफाफे में धरोहर राशि के साथ शाखा कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त विषय में जो आपूर्तिकर्ता इस कार्य को करने के इच्छुक हैं एवं एन.सी.सी.एफ. देहरादून में उनका पंजीकरण नहीं हुआ है भी इस निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें एन.सी.सी.एफ. में पहले अपना पंजीकरण कराना होगा।

प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार शाखा प्रबन्धक एन.सी.सी.एफ. देहरादून के पास सुरक्षित होगा।

Bisht
21/12/23
(सौम्या बिष्ट)
शाखा प्रबन्धक

ईमेलः nccfddn@rediffmail.com

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाषः– 05966–220260 / 0135–2759799
ई–मेलः dirudyanhorti@gmail.com

रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु सूचना

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त संकर सब्जी बीजों (Hybrid Vegetable Seeds) प्रजातियों के यथा बन्दगोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, टमाटर, शिमलामिर्च, मशाला मिर्च/तेज मिर्च, कद्दू, भिण्डी, बैगन, मूली, शलजम आदि की विभिन्न प्रजातियों के क्षेत्रफल विस्तार, प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से राजसहायता से लाभान्वित किया जाना है, जिस हेतु मूल बीज उत्पादक फर्मों/ कम्पनियों/संस्थाओं से फसलवार तथा प्रजातिवार संकर (Hybrid) सब्जी बीजों की दरों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) का आवेदन मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक–27.12.2023 को सायं 5:00 बजे तक अपर निदेशक कार्यालय, रा०उ० सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जायेगा। प्राप्त मुहर बन्द आवेदनों के तकनीकी आवेदनों/तकनीकी प्रपत्रों को दिनांक–28.12.2023 को प्रातः 11:00 बजे उच्चस्तरीय समिति के सम्मुख खोला जायेगा, तकनीकी आवेदनों/प्रपत्रों (बिड्स) में सफल फर्मों/ कम्पनियों के मुहर बन्द वित्तीय प्रपत्रों (वित्तीय बिड) को समिति के सम्मुख खोला जायेगा। फर्मों/ कम्पनियों के साथ वार्ता कर मोल–भाव (Negotiation) कर दरों का निर्धारण किया जायेगा। रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की शर्त एवं अन्य जानकारियॉ वेबसाईट www.shm.uk.gov.in तथा uktender.gov.in से दिनांक 13.12.2023 से डाउनलोड कर आवेदन किये जा सकते है। समस्त बीज उत्पादक फर्मों/कम्पनियों से यह भी अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करते रहें, क्योंकि समय–समय पर EoI के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन अथवा अतिरिक्त सूचना/शुद्धि पत्र के रूप में वेबसाईट पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

अपर निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाषः– 05966–220260 / ☎0135–2759799
ई–मेल:dirudyanhorti@gmail.com

हाईब्रीड (Hybrid) सब्जी बीजो की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मो / कम्पनियों / संस्थाओं के पंजीकरण (Empanelment) हेतु
रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु आवश्यक अभिलेख

तकनीकी प्रपत्र–1

क्र सं	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या
1	मूल उत्पादक फर्म / कम्पनी को अपने विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें उत्पादक फर्म / कम्पनी का नाम, साझेदारों, का नाम, पता, ई–मेल आई0डी0 आदि का विस्तृत विवरण अंकित हो।	
2	रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण – ड्राफ्ट संख्या............... दिनाकं.................. धनराशि रू0 2360.00 (with GST) शेडयूल कमर्शियल बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम–	
3	आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर हाईब्रिड (Hybrid) सब्जी बीजों हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन अंकित हो, दिनांक 27.12.2023 को सांय 05:00 बजे तक अपर निदेशक कार्यालय, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून मे जमा करना होगा। शेडयूल कमर्शियल बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान के नाम बन्धक हो, का विवरण– बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद की संख्या..जारीकर्ता बैंक / ब्रान्च का नाम... वैधता तिथि.....................................धनराशि रू0 5.00 लाख	
4	मूल उत्पादक फर्म / कम्पनी का पैन कार्ड नम्बर–.. (कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	फर्म / कम्पनी के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण–पत्र (छायाप्रति संलग्न करें)	
6	मूल उत्पादक फर्म / कम्पनी का बीज विक्रय का लाईसेन्स संख्या..जारी करने की तिथि...................... जारीकर्ता का नाम व पता...............वैधता तिथि...................................(छायाप्रति संलग्न)	
7	मूल उत्पादक फर्म / कम्पनी के उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता GSTINNo- ....का (GSTIN का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।	
8	फर्म / कम्पनी के उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के बीज बिक्री का लाईसेन्स संख्या.. जारी करने की तिथि..................जारीकर्ता का नाम व पता...............वैधता तिथि...................................(छायाप्रति संलग्न)	
9	Physical purety (भौतिक शुद्वता), Genetic purety (आनुवांशिक शुद्वता), Seed Moisture Percentage, एंव Seed Germination (As per seed Act 1966) का प्रमाण पत्र संलग्न करना	
10	फसल उत्पादन के समय फल / फलियों– साइनिगं, आकार, फल कीपिगं क्वालिटी एवं परिपक्वता गुणों का ब्रोशर संलग्न करना होगा।	
11	वर्ष 2022–23 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 10.00 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा	
12	फर्म / कम्पनी / संस्था के द्वारा न्यूनतम 3 वर्षो की आपूर्ति का सक्षम स्तर से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
13	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर बीजों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी.	
14	फर्म के विरूद्व किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद / विधिक कार्यवाही अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा।	
15	फर्म / कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु बीजों की दी जा रही दरें न्यूनतम हैं, उपलब्ध करायी गयी दरों से कम पर फर्म / कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य / विभाग / संस्था को आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही कम दरों पर पंजीकरण की वैधता तिथि तक आपूर्ति की जायेगी।	
16	फर्म / कम्पनी देश के बाहर की होने पर Authorized Dealershipजो मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, संलग्न करना होगा।	
17	लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तगर्त रानीखेत होगा (जिसके सम्बन्ध में फर्म / कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)	
18	पंजीकरण उपरान्त कम्पनी को उन्न्त पौध रोपण सामग्री के बुवाई / रोपणकी तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को नि:शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का प्रमाण पत्र)	
19	पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म / कम्पनियो द्वारा विक्रय किए गए सब्जी बीजों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी प्रमाण पत्र)	
20	जिन हाईब्रिड सब्जी बीजों का पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया है, उनके द्वारा प्रत्येक हाईब्रिड सब्जी बीजों के प्रत्येक प्रजाति के 10 ग्राम के शील्ड पैकेट नमूने के तौर पर एक–एक नमूना मुहरबन्द लिफाफे में उपलब्ध कराना होगा।	
21	फर्म / कम्पनी को भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) द्वारा जारी फर्म के अनुसंधान और विकास (आर.&.डी.) बुनियादी को दर्शाने वाले दस्तावेज रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक संलग्न करना होगा।	
22	सम्बन्धित हाईब्रीड सब्जी बीज के अधिकृत अभिजनक (ब्रीडर / अनुसंधान संस्थान के अभिजनक का विवरण) फर्म / कम्पनी को ब्रीडर प्रमाण–पत्र के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए कि हाईब्रिड सब्जी बीज उसकी देखरेख में विकसित फर्म / कम्पनी द्वारा जारी की गयी है, और फर्म द्वारा प्रस्तुत हाईब्रिड सब्जी बीज के रूपात्मक लक्षण सहीं है।	

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होगें तथा प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा कि उपरोक्त सभी कालम मे दी गयी सूचनाए सत्य एंव प्रमाणित है रूची की अभिव्यक्ति (EoI)के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता फर्म / कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेखें स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तो पर सहमति हेतु फर्म / कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है। आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये तकनीकी प्रपत्र में भी अभिलेख का पृष्ठ संख्या लिखना आवश्यक है।
शपथ पत्र–मेरे द्वारा उपरोक्त रूची की अभिव्यक्ति (EoI) की समस्त शर्तो एंव प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक / प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदक / प्राधिकर्ता का नाम–
फर्म का नाम / पता / सील
मो0नम्बर / ईमेल–

क्रमशः–2

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष:– 05966–220260 / 0135–2759799

ई–मेल:dirudyanhorti@gmail.com

हाईब्रिड(Hybrid) सब्जी बीजों के मूल उत्पादक फर्मों एंव उनके अधिकृत वितरक/कम्पनियों के पंजीकरण(Empanelment)हेतुरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की शर्ते

विभाग में संचालित विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाओं, राज्य सैक्टर, जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में उन्नत हाईब्रिड (Hybrid) सब्जी बीजों से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु मूल उत्पादक फर्मों एंव उनके अधिकृत वितरक/कम्पनियों की दरो एवं विशिष्टियो के पंजीकरण के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की जाती है:–

1. मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी को अपनी विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें उत्पादक फर्म/कम्पनी का नाम, साझेदारों का नाम, पता, ईमेल आई0डी0 आदि का विस्तृत विवरण अंकित हो।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा।**आवेदन के प्रारूप प्रपत्र–1 तकनीकी प्रपत्र** के साथ आवेदन शुल्क के रूप में शेडयूल कमर्शियल बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18%GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, चौबटिया (रानीखेत) के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।
3. पंजीकरण हेतु शेडयूल कमर्शियल बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 5.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2025 जो निदेशक, उद्यान एंव खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. **वित्तीय प्रपत्र–2** अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा एंव लिफाफे के उपर वित्तीय प्रपत्र –2 अंकित करना होगा।
5. फर्म/कम्पनी को आवेदन निर्धारित प्रारूप बेवसाइट www.https://uktenders.gov.in से Online डाउनलोड कर बंद लिफाफे में जमा करना होगा।
6. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें फर्मो/कम्पनियों के द्वारा विभागीय वेबसाईट www.shm.uk.gov.in तथा www.https://uktenders.gov.in से दिनांक 13.12.2023 से डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।
7. आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपर हाईब्रिड सब्जी बीजो हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन अंकित हो को दिनांक 27.12.2023 को सायं 05:00 बजे तक अपर निदेशक, कार्यालय–राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में जमा करना होगा। आवेदन पत्र मूल उत्पादक फर्मो (Original Producer) अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकृत वितरक से ही स्वीकार किये जायेंगे।
8. विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 28.12.2023 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा।
9. विभाग यदि उचित समझे तो वित्तीय प्रपत्र में हाईब्रिड बीजों की दी गई दरों के मोल–भाव (Negotiation) हेतु फर्म/कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर दरों का निर्धारण किया जायेगा तथा दरों की सहमति हेतु फर्म/कम्पनियों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी। विभाग यदि
10. हाईब्रिड (Hybrid)बीज का पंजीकरण दिनांक 31.03.2025 तक वैध होगा। परन्तु फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखो की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा या स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
11. पंजीकरण की जाने वाली मूल फर्म/कम्पनी को हाईब्रिड (Hybrid) सब्जी बीजों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार के सीड एक्ट–1966 में निर्धारित शर्तों एंव नियमों का पालन करना होगा।
12. मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी को अपना लोगो (Logo), बैच नम्बर, ब्राण्ड का नाम, प्रजाति का नाम, उत्पादन एवं पैकिंग की तिथि, वैधता तिथि, बीजों की संख्या/मात्रा(ग्राम में) एवं जमाव प्रतिशत

क्रमशः–3

इत्यादि का विवरण आपूर्ति के समय पैकिगं पर अंकित करना अनिवार्य है। सब्जी बीजों के पैकिंग पैकेट पर ''उद्यान विभाग के प्रयोगार्थ'' एवं बीज के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण अंकित करना होगा। बीज सप्लाई पर 9 माह से कम का जीवित्ता मान्य नही होगा (टेस्ट रिर्पोट के उपरान्त)।

13. आवेदनकर्ता फर्म/कम्पनी द्वारा हाईब्रिड (Hybrid) सब्जी बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति की विगत 3 वर्षो की सक्षम स्तर (राज्य/विभाग के सम्बन्धित अधिकारी) से कार्यादेश/आपूर्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
14. फर्म/कम्पनी को भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) द्वारा जारी फर्म के अनुसंधान और विकास (आर.&डी.) बुनियादी को दर्शाने वाले दस्तावेज रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक संलग्न करना होगा।
15. फर्म/कम्पनी के द्वारा अपने ब्रीडर की सूची उपलब्ध कराई जानी होगी।
16. फर्म/कम्पनी को ब्रीडर प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए कि हाईब्रिड सब्जी बीज उसकी देखरेख में विकसित फर्म/कम्पनी द्वारा जारी की गयी है, और फर्म द्वारा प्रस्तुत हाईब्रिड सब्जी बीज के रूपात्मक लक्षण सहीं है। जिसका प्रजातिवार विवरणात्मक ब्रोशर संलग्न करना होगा। सब्जी बीजों का प्रजातिवार, विशिष्टता एंव उपज की गुणवत्ता, उत्पादित फलों की साइनिगं, फल की कीपिंग क्वालिटी एवं परिपक्वता का समय भी अंकित हो एवं आकार, वजन से सम्बन्धित विवरण के कैटलॉग (Catalogue)/साहित्य जनपद मुख्यालय के कार्यालयाध्यक्षों को उपलब्ध कराना होगा।
17. आवेदनकर्ता फर्म द्वारा वर्ष 2022—23 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 10.00 करोड़ होने का सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
18. फर्म/कम्पनी का कार्यालय या अधिकृत विक्रेता का कार्यालय/भण्डार अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड मे होना चाहिए।
19. पंजीकरण हेतु वित्तीय प्रपत्र में अंकित प्रत्येक हाईब्रिड सब्जी बीजों के प्रत्येक प्रजाति के 10 ग्राम के सील्ड पैकेट नमूने के तौर पर अनिवार्य रूप से कार्यालय अपर निदेशक, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, गढ़ी कैण्ट, देहरादून में दिनांक 27.12.2023 के सांय 05.00 बजे तक जमा करना होगा।
20. संकर (Hybrid) बीजों की भौतिक शुद्धता(physical purety)आनुवांशिक शुद्धता (Genetic purety), सब्जी बीजों की नमी का प्रतिशत तथा जमाव प्रतिशत(As per seed Act 1966) होने का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। (पैकिंग पैकेट पर अंकित करना होगा)
21. हाईब्रीड (Hybrid सब्जी बीजों का आकार, संख्या मानक के अनुरूप जमाव प्रतिशत As per seed Act 1966 से कम न होने का प्रमाण पत्र में संलग्न करना होगा।
22. फर्म/कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।
23. फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु संकर (Hybrid)बीज की दी जा रही दरें न्यूनतम है। उपलब्ध कराई गई दरों से कम दर पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को संकर (Hybrid)की आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही कम दरों पर पंजीकरण की वैधता तिथि तक आपूर्ति की जायेगी। अधिक दरों पर विभाग को आपूर्ति किये जाने की शिकायत साक्ष्य सहित प्राप्त होने पर फर्म/कम्पनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी की होगी।

कमशः—4

24. विभाग द्वारा जारी पंजीकरण हेतु EoI को बिना कारण बताए परिवर्तन / संशोधन (आंशिक या पूर्ण) अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान का होगा। किसी विवाद की स्थिति में निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र रानीखेत(अल्मोड़ा) न्यायालय होगा।

25. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ को होगा।

26. आवेदनकर्ता फर्म / कम्पनी को उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकृत विक्रेता का GSTIN No का प्रमाण पत्र एंव पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगा।

27. सब्जी बीजों पर देय राजसहायता की मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी / उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी आवश्यकतानुसार विभाग में पंजीकृत फर्म / कम्पनी से सब्जी बीजों को क्रय कर सकता है। कृषको के लिखित अनुरोध पर मुख्य / जिला उद्यान अधिकारियों / उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार द्वारा भी सब्जी बीजों क्रय कर कास्तकारों को वितरित किया जा सकता है।

28. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर सब्जी बीजों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R.(डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी।

29. आवेदनकर्ता फर्म / कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तों पर सहमति हेतु फर्म / कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

30. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स / ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी / परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

31. पंजीकरण उपरान्त कम्पनी को बीज बुवाई / रोपण का तकनीकी प्रशिक्षण व उपयोगी साहित्य चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।

32. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म / कम्पनियो द्वारा विक्रय किए गए उन्नत सब्जी बीज रोपण सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी / सावधी जमा की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म को होगी।

33. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फर्म / कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस फर्म / कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

34. देश से बाहर की कम्पनी होने पर भारत सरकार द्वारा देश में सब्जी बीज आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अपर निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष:– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799
ई–मेल:dirudyanhorti@gmail.com

उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी बीजों की आपूर्तिहेतु मूल उत्पादक फर्मों / कम्पनियों / संस्थाओं के पंजीकरण(Empanelment)हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI)

वित्तीय प्रपत्र–2

ब)– हाईब्रीड सब्जी बीज (Hybrid Seed)

क्र0 सं0	हाईब्रिडसब्जीबीज का नाम	प्रजाति	बीज की पैकिंग	मूल दर (रू0 में)	GSTIN (रू0 में)	मूल दर + GSTINF.O.R.डेस्टीनेशन सहित(रू0 में)
1	बन्दगोभी					
2	फूलगोभी					
3	ब्रोकली					

क्रमश–2

क्र0 सं0	हाईब्रिड सब्जी बीज का नाम		बीज की पैकिंग	मूल दर (रू0 में)	GSTIN (रू0 में)	मूल दर + GSTIN F.O.R. डेस्टीनेशन सहित(रू0 में)
4	टमाटर					
5	शिमलामिर्च					
6	मशालामिर्च / तेज मिर्च					
7	कद्दू					
8	भिण्डी					
9	बैगन					
10	मूली					
11	शलजम					

क्रमश—3

नोट–1. वित्तीय प्रपत्र में सब्जी बीजों एवं उनके प्रजातियों की दरों के अंकन हेतु स्थान नहीं होने पर उक्त प्रारूप फर्म/कम्पनी के राईटिंग पैड पर तैयार कर अंकन किया जा सकता है।

2. उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृत कर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। पंजीकरण के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदक/प्राधिकर्ता का नाम–

फर्म का नाम/पता/सील

फोन नम्बर–

ई–मेल आई0डी0–